UPJL010095312023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, जालौन स्थान उरई।
उपस्थितः सतीश चन्द्र द्विवेदी, एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण नम्बर 317C/2023
सरकार बनाम राकेश अहिरवार।

मुकदमा अपराध संख्या 447/2023
धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471
भा.दं0 सं0,
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

निर्णय

1. अभियुक्त राकेश अहिरवार पुत्र स्व. सीताराम का विचारण थाना कोतवाली उरई जिला जालौन की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 447/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471 भा0 दं0 सं0 थाना कोतवाली उरई के अंतर्गत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक तहरीर इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.23 को मैं प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार सिंह राठौर मय हमराह उपनिरीक्षक मो० आरिफ उ0नि0 रामवीर सिंह का0 1404 मृगेन्द्र परिहार का0 321 राजू कमल को एक जरब एके 47 मय 20 कारतूस व मय सरकारी जीप UP92G0356 चालक का0 122 कृष्ण कुमार सारस्वत वाहवाले रपट नंबर 76 समय 21.26 बजे शांति व्यवस्था वाहन चेकिंग गिरफ्तारी बांछित अभियुक्त अन्दर अधिकार क्षेत्र रवाना होकर कोंच तिराहा पेट्रोल पंप पर आकर संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन की चैकिंग करना प्रारम्भ किया कि दौराने चैकिंग जरिये मुखबिर खास ने आकर बताया कि कुछ लोग वजीदा जाने वाले मोड़ पर चोरी की कई मोटरसाइकिले लेकर खड़े हैं तथा किसी वाहन की तलाश में है ताकि चोरी की मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाया जा सके इस सूचना पर विश्वास करके मुझ प्रभारीनिरीक्षक द्वारा रास्ते से आने जाने वाले व्यक्तियों को कारण बताते हुए वास्ते गवाही साथ चलने के लिए कहा गया किंतु कोई भी व्यक्ति भलाई व बुराई के डर से साथ चलने को तैयार नहीं हुआ तथा बिना अपना नाम पता बताये मौके से चले गये इस पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा हमराह फोर्स को मुखबिर की बात से अवगत कराया गया तथा मय फोर्स मय मुखबिर के आपस में एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु नहीं है तथा शीघ्रता करते हुए मुखबिर को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा कर मुखबिर के बताए हुए स्थान की ओर चल दिए वजीदा मोड़ से करीब 100 मीटर पहले मुखबिर ने रोड के किनारे खड़े हुए व्यक्तियों को आने जाने वाले वाहनो की रोशनी मे देखकर इशारा करते हुए बताया कि ये वही व्यक्ति हैं जो चोरी की मोटरसाइकिले बेचने के लिए ले जाना चाह रहे हैं तथा मुखबिर गाडी से उतरकर वापस चला गया इस पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके मैं हमराह फोर्स के पैदल ही आगे बढ़ चले की काफी नजदीक पहुंचने पर उन व्यक्तियो द्वारा हम पुलिस वालों को देख कर भागना शुरू कर दिया कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा हमराह फोर्स की मदद से दौड़कर घेर घारकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों को मौके पर से ही पकड़ लिया तथा एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में कामयाब रहा पकडे गये व्यक्तियो से नाम व पता पूछते हुये जामा तलाशी लेते

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2026.01.14 11:29:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुये भागने का कारण पूछा तो पहले व्यक्ति ने अपना घटा के पीछे नया नाम अर्जुन तिवारी पुत्र वेद प्रकाश तिवारी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मरघटा पाठक पुरा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो जामा तलाशी से 100 रुपये बरामद हुए तथा दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अमन उर्फ बाबी पुत्र स्व० अशोक कुमार जाटव निवासी कोच बस स्टैंड के पीछे नया पाठक पुरा थाना कोतवाली उरई जिला जालौन बताया और बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो जामा तलाशी से 230 रुपये बरामद हुए और दोनो ने एक स्वर से बताया कि हम लोग अपने साथ 06 चोरी की मोटरसाइकिल लिये हुये है जिन्हे हम बेचने के उद्देश्य से ले जाना चाह रहे थे तथा सडक पर बड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। तथा भागने वाले व्यक्ति के बारे मे जानकारी की गयी तो बताया कि उसका नाम राकेश अहिरवार पुत्र स्व० सीतीराम निवासी मु० नया पाठकपुरा स्वर्गधाम के पीछे थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन बताया तथा वहा पर खड़ी हुयी मोटर साइकिलों के बारे में पूछा तो मोटरसाइकिल सं0 UP92M5639 की ओर इशारा करके बताया है कि दिनांक 12.06.23 को उमरार खेडा शराब के ठेके के बाहर अपने साथियों अमन उर्फ बाबी व राकेश अहिरवार के साथ मिलकर चोरी की थी अन्य मोटरसाइकिलो के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब ये सारी मोटरसाइकिल मैने अमन उर्फ बाबी व अभिलाख उर्फ छुन्नू पुत्र दशरथ अहिरवार व मानवेन्द्र उर्फ डोलू पुत्र स्व० अशोक अहिरवार के साथ मिलकर लकर चुरायी थी जोकि इस समय जेन में है जिनकी जिनकी जेल से सूचना आयी थी की जो गाडिया हम लोगो ने मिलकर चुरायी है।

3. उक्त के आधार पर वादी मुकदमा शिवकुमार सिंह राठौर प्रभारीनिरीक्षक थाना कोतवाली उरई, द्वारा चोरी की मोटर साइकिल को बेंचने/अभयस्तः व्यापार करने के उद्देश्य अपने कब्जे में रखे हुए पाये जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। मामले में बाद विवेचना आरोप पत्र अभियुक्त राकेश अहिरवार व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471 भा0 दं0 सं0, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण के मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित आने पर उनको अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई द्वारा अपने प्रतिप्रेषण आदेश दिनांकित 27.09.2023 के द्वारा अभियुक्तगण का मुकदमा विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया। जो सत्र न्यायालय में सत्र परीक्षण संख्या 317/2023 के रूप में दर्ज हुआ।

5. अभियुक्तगण के सत्र न्यायालय में उपस्थित आने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण राकेश, अर्जुन तिवारी अमन उर्फ बॉबी जाटव, मानवेन्द्र उर्फ गोलू अहिरवार एवं अभिलाख उर्फ छुन्नू को धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपित किया गया। आरोप पत्र 24.11.2023 को विरचित किया गया है। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. दौरान विचारण अभियुक्त राकेश अहिरवार की ओर से प्रार्थना पत्र के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की गई है कि वह जेल में निरूद्ध है उसका विचारण अलग से शीघ्र किया जाये। इस पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.07.2025 के द्वारा अभियुक्त राकेश अहिरवार की पत्रावली पृथक की गयी।

7. पूर्व में आरोप विरचित था अतः प्रकरण में दिनांक 09.12.2025 को पी0 डब्लू01 कां. 639 धर्मेन्द्र कुमार वर्तमान तैनाती आर.टी.सी. पुलिस लाइन उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन ने यह

साक्ष्य दिये है कि दिनांक 18–06–2023 को मैं थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन में बतौर कां० मु० तैनात था तथा थाना कार्यालय में कार्यलेख पर मौजूद था। उसी समय प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार सिंह राठौर मय हमराह कां० मृगेन्द्र परिहार, राजू कमल व उपनिरीक्षक मुह० आरिफ व उप निरीक्षक रामबीर सिंह एवं गिरफ्तार सुदा दो नफर अभियुक्त व छह अदद बरामदा चोरी की मोटरसाइकिलों सहित थाना कोतवाली में उपस्थित आए। माल को थाने पर दाखिल किया व एककिता फर्द बरामदगी व अभियुक्तों को कार्यालय में दाखिल करते हुए उपस्थित हुए। बादी के फर्द बरामदगी के आधार पर मैंने दिनांक 19–06–2023 को ही 3.54 बजे पर मुकदमा अं०सं० 447/2023 बनाम अर्जुन तिवारी आदि तीन नफर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471 आई०पी०सी० में अभियोग पंजीकृत कर कम्प्यूटर से चिक एफ०आई०आर० किता की थी। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न चिक एफ०आई०आर० का मिलान एस०टी० 317/2023 में शामिल असल चिक एफ०आई०आर० से करते हुए बताया कि यह चिक एफ०आई०आर० असल एफ०आई०आर० की शब्दसा छायाप्रति है जो सच व सही है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 1 अंकित किया गया। इस मुकदमे का खुलासा मैंने थाना हाजा के रोजनामचा आम में दिनांक 19–06–2023 को ही 3.54 बजे कम्प्यूटर से मेरे द्वारा ही करवाया गया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज कायमी जी०डी० को देखकर उसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोग पंजीकृत करते समय मेरे द्वारा किता की गई कायमी जी०डी० की यह शब्दसा छायाप्रति है। मैं असल से इसका मिलान कर इसकी पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 2 अंकित किया गया। मेरी कोतवाली में तैनाती के दौरान निरीक्षक सुशील पारासर तैनात रहे हैं। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। इस कायमी मुकदमे की विवेचना उन्ही के द्वारा की गई थी। विवेचक ने विवेचना के दौरान बरामदगी स्थल का नक्सा नजरी तैयार किया था। जो पत्रावली में संलग्न है। मैं नक्शा नजरी व उस पर बने निरीक्षक सुशील पारासर के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया। विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। जो पत्रावली में संलग्न हैं। जो पत्रावली में संलग्न है और इस पर निरीक्षक सुशील पारासर के हस्ताक्षर हैं मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क 4 अंकित किया गया। छायाप्रति, नक्शा नजरी व आरोप पत्र का मिलान असल नक्शा नजरी से किया गया। जो असल के मुताबिक है और सच व सही है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

8. पी.डब्लू–2 निरीक्षक शिवकुमार सिंह वर्तमान तैनाती डी.सी.आर.बी. जालौन जनपद जालौन ने यह साक्ष्य दिये है कि दिनांक 18–06–2023 के पूर्व से मैं थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन में मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। 18–06–2023 को मैं, मय हमराह उपनिरीक्षक मोहम्मद आरिफ व उपनिरीक्षक रामबीर सिंह, कां० मृगेन्द्र परिहार व कां० राजू कमल मय शस्त्र कारतूस व सरकारी वाहन व चालक कां० कृष्ण कुमार सहित थाना हाजा से रवाना होकर समय करीब 21.26 बजे शान्ती व्यवस्था, वाहन चेंकिग व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त थाना क्षेत्र में मामूर होकर कोंच तिराहे पेट्रोल पंप आकर चेंकिग कर रहा था तभी मुखबिर खास सूचना मिली की कुछ लोग वजीदा जाने वाले मोड़ पर चोरी की गई मोटरसाइकिलें लेकर वाहन की तलाश में खड़े हैं जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की बात पर विश्वास करके रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को कारण बताते हुए गवाही हेतु साथ चलने को कहा किन्तु भलाई बुराई के कारण डर से कोई तैयार नहीं हुआ। अपने हमराही फोर्स को मुखबिर की बात से अवगत कराते हुए आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी मुखबिर सहित ले देकर यह इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई वस्तु व पदार्थ नहीं है।

सभी को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान की ओर चल दिये वजीदा मोड़ से 100 मीटर पहले मुखबिर ने रोड के किनारे खड़े हुए व्यक्तियों को आने जाने वाले वाहनों की रोशनी में देखकर इशारा करके बताया कि ये वही लोग है चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने के लिए ले जाना चाह रहे हैं। मुखबिर बताकर वापस चला गया। मुझ प्रभारी निरीक्षक ने गाड़ी वहीं खड़ी करके मय हमराह फोर्स के पैदल पैदल आगे बड़े नजदीक पहुँचने पर उन व्यक्तियों द्वारा पुलिस वालों को देखकर भागना शुरु कर दिया। हम लोगों ने दोड़कर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर मौके से ही दो व्यक्तियों को पकड़ लिया तथा एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए व्यक्तियों की जामा तलाशी लेते हुए नाम व पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन तिवारी पुत्र वेद प्रकाश तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी मरघटा के पीछे नया पाठक पुरा उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन जिसकी जामा तलाशी में 100 रुपये बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम अमन उर्फ बॉबी पुत्र स्व० अशोक जाटव निवासी कोंच बस स्टैण्ड के पीछे नया पाठक पुरा उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन और इसकी जामा तलाशी से 230 रुपये बरामद हुए। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग अपने साथ चोरी की छह मोटर साइकिल लिए हैं जिन्हें हम बेचने के उद्देश्य से जाना चाह रहे थे। सड़क पर खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों ने पकड़ लिया भागने वाले व्यक्ति का नाम दोनों ने राकेश अहिरवार पुत्र सीताराम निवासी मोहल्ला नया पाठक पुरा स्वर्गधाम के पीछे उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन बताया। वहाँ पर खड़ी हुई मोटर साइकिल के बारे में पूछा तो अर्जुन तिवारी ने बताया मोटर साइकिल नं० UP92M5639 की ओर इशारा करके बताया कि यह दिनांक 12-06-2023 को उमरार खेड़ा शराब ठेके के बाहर उरई से अपने साथी अमन बॉबी और राकेश अहिरवार के साथ मिलकर चोरी की थी। इस बात की पुष्टि अमन उर्फ बॉबी ने भी की और अन्य मोटर साइकिल के बारे में अर्जुन ने बताया कि मैंने अमन उर्फ बॉबी व अभिलाख उर्फ छुन्नू पुत्र दशरथ अहिरवार व मानवेन्द्र उर्फ अशोक अहिरवार के साथ मिलकर चुराई थी जो इस समय जेल में है। जिनकी जेल से सूचना आयी थी जो गाड़ियाँ हमलोगों ने मिलकर चुराई हैं उन्हें बेचकर पैसे का इंतजाम करो ताकि हमारी जमानत हो सके। इस बात की पुष्टि अमन उर्फ बॉबी ने भी की थी। बरामद शुदा मोटर साइकिल नं० UP92M5639 चैसिस नं० 07L02F35197 रंग नीला व काला धारीदार जो थाना कोतवाली उरई पर मुकदमा नं० 437/2022 धारा 379 आई०पी०सी० से संबंधित है तथा वांछित है। बरामद शुदा मोटर साइकिल नं० UP17E2314 चेसिस नं० MBLHA10EZA9F05117 रंग काला व नीला धारीधार, मोटर साइकिल नं० UP92E9137 चेसिस नं० 05G29F16944 रंग कथ्थई हीरो होंडा डिलक्स, मोटर साइकिल बिना नं० चेसिस नं० MBLHA110ENA9F20768 रंग काला व नीला हीरो होंडा सी०डी० डिलक्स, मोटर साइकिल नं० UP77L5500 चेसिस नं० MD634BE46J2C02495 रंग लाल व काला टी०वी०एस अपाचे, मोटर साइकिल नं० UP92N8112 चेसिस नं० ME4JC67BKJ8059787 रंग काला सिल्वर धारीदार होंडा सी०डी० 110 ड्रीम डी०एक्स० बरामद हुई। बरामदाशुदा मोटरसाइकिलों के नं० प्लेटों को इ-चालान एप से बारी बारी चेक करने पर अपाचे मोटर साइकिल में लगी नम्बर प्लेट UP77L5500 फर्जी पायी गयी जिसका सही नं० MP07ND7218 फर्जी नं० प्लेट को कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्तों द्वारा जिस मोटरसाइकिल नं० प्लेट में हेरफेर किया गया जिसका चेसिस नं० MBLHA110ENA9F20768 इतना है को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो वास्तविक रजिस्ट्रेशन UP93Y8099 है। अभियुक्तों से आवश्यक प्रपत्र तलब किए गए तो दिखाने से कासिर रहे जिस पर

अभियुक्तगणों को बताया गया कि तुम्हारा यह कृत 41/102 सी०आर०पी०सी० व धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471 आई०पी०सी० का दण्डनीय अपराध है। अभियुक्तों को बरामदा शुदा मोटर साइकिलों सहित समय करीब 1.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी मेमो व फर्द मौके पर ही तैयार किया गया। फर्द मेरे निर्देशन में उपनिरीक्षक मोहम्मद आरिफ द्वारा बोल बोलकर गूगल डाक्स एप पर तैयार की गयी जिसको ओ०टी०जी० की सहायता से पेन ड्राइव में लेकर सुरक्षित स्थिति में कां० मृगेन्द्र सिंह परिहार को देकर थाने से प्रिंट कराकर मंगवाई गई। अभियुक्तगण व हमराही अधिकारी व कर्मचारियों को मौके पर ही फर्द दिखाकर, पढ़ाकर, सुनाकर सभी के हस्ताक्षर व अभियुक्त अर्जुन का अंगूठा निशानी लगवाया गया। अभियुक्तों की सहमति से फर्द की एक प्रति अर्जुन को दी गई। मय माल व गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को लाकर थाना हाजा पर दाखिल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि यह फर्द बरामदगी असल फर्द बरामदगी एस०टी० 317/2023 में संलग्न कागज सं० 5क/1 कि शब्दसा छायाप्रति है जो सच व सही है असल के मुताबिक है मैं अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क 5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

9. अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक का सही होना, गवाहों द्वारा सही गवाही देना बताते हुए कम से कम सजा देने का कथन किया गया। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई सफाई साक्ष्य पेश नहीं की है।

10. मैने उभय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्क सुने एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

11. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य से अभियोजन कथानक एवं अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा भी अभियोजन कथानक को स्वीकार करते हुए अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी. द्वारा बयान में व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त तदनुसार दोषसिद्ध किया जाये।

12. पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 कां. 639 धर्मेन्द्र कुमार व पी.डब्लू–2 निरीक्षक शिवकुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए तहरीर को प्रदर्श क 1 के रूप में चिक एफ,आई.आर. को प्रदर्श क 2 के रूप में नकल जी.डी. कायमी मुकदमा को प्रदर्श क 3 के रूप में नक्शानजरी घटना स्थल को प्रदर्श क 4 के रूप में एवं आरोप पत्र प्रदर्श क 5 के रूप में साबित किया है। फर्द प्रदर्श क–1 जिसे साक्षी पी.डब्लू–1 कां. 639 धर्मेन्द्र कुमार एवं पी.डब्लू–2 निरीक्षक शिवकुमार सिंह ने साबित किया है के अनुसार जब वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार सिंह राठौर मय हमराह मो. आरिफ उपनिरीक्षक शांति व्यवस्था व वाहन चैंकिंग में मौजूद थे। मुखविर की सूचना पर कोंच तिराहें से जालौन जाने वाली सड़क के पास अभियुक्त राकेश व उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राकेश के पास से जामातलाशी से पैंट की जेब से 100/–रूपये बरामद हुए थे उसने स्वंय को चोर होना व चोरी करने की मंशा से चोरी की मोटरसाईकिल ले जाना भी स्वीकार किया है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त राकेश ने अपने बयान 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत घटना को सही बताया है। उसके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उसका कोई पैरोकार नहीं है और उसे कम से कम सजा दी जाये। मामले के उपरोक्त तथ्य

परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते है। अभियोजन घटना को साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त धारा 413,414,420,478,471 में दोष सिद्ध होने योग्य है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

13. अतः अभियुक्त को धारा 411,413,414,420,468,471 भा0 दं0 सं0, के अन्तर्गत दोषी पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त राकेश अहिरवार को उपरोक्त अपराधों के अन्तर्गत दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे दण्ड के बिन्दु पर सुनने हेतु पेश किया जाये।

दिनांकः 06.01.2026

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1,
जालौन स्थान उरई।

पत्रावली पुनः पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया।

अभियुक्त राकेश अहिरवार की ओर से कथन किया गया कि वह अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वह दिनांक 04.07.2023 से कारागार में निरूद्व है। उसके परिवार में उसकी पैरवी व देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अत्यन्त गरीब है। अतः उसे कारागार में बितायी गई अवधि से दण्डित कर केस समाप्त किया जाए।

अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत मामले में उसके बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विशेषतः कोई पैरोकार न होना व गरीब होने के आधार पर अभियुक्त राकेश अहिरवार को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता हैः–

दण्डादेश

अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 413 भा0 दं0 सं0 के अपराध में **02 वर्ष तीन माह** के कारावास एवं मु0 1000/–रूपये(एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 411 भा0 दं0 सं0 के अपराध में 06 माह के कारावास एवं मु0 500/रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 414 भा0 दं0 सं0 के अपराध में 06 माह का कारावास एवं मु0 500/रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 420 भा0 दं0 सं0 के अपराध में 01 वर्ष के कारावास एवं मु0 1000/रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। 3 अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 468 भा0 दं0 सं0 के अपराध में 1 वर्ष के कारावास एवं मु0 1000/रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 471 भा0 दं0 सं0 के अपराध में 06 माह का कारावास एवं मु0 500/रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त को दी गयी सभी सजाएं एक साथ चलेंगीं तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी अवधि सजा की उपरोक्त अवधि में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का सजायाबी वारन्ट तैयार कर अविलम्ब जिला कारागार भेजा जाए।

दिनांक 06.01.2026

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1
जालौन स्थान उरई।

निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की निशुल्क प्रति अभियुक्त को प्राप्त करायी जाये।

दिनांक 06.01.2026

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1
जालौन स्थान उरई।